प्रेस विज्ञप्ति थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 07.01.2023

अवैध रुप से संचालित सत्यम हॉस्पिटल मे ईलाज के दौरान हुई महिला की मृत्यु के आरोप में हॉस्पिटल संचालक गिरफ्तार, अवैध दस्तावेज बरामद व हॉस्पिटल को किया गया सील

विष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में होने वाले अपराधो पर रोकथाम/अंकुश लगाये जाने तथा सम्बन्धित अभियुक्तो के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण एंव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरा के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गुलिरहा मनोज कुमार पाण्डेय की टीम द्वारा सत्यम निर्देश होम भटहट बासस्थान रोड के संचालक के विरुद्ध थाना गुलिरहा गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/23 धारा 304,419,420 भादवि0 व 15(3) इण्डियन मेडिकल कांउसिल एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/हॉस्पिटल संचालक रंजीत निषाद पुत्र सुबाष निषाद निवासी जंगल जैनुलआबदीन उर्फ जैनपुर टोला सत्यनगर थाना गुलिरहा गोरखपुर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर में प्रस्तुत किया जा रहा है।

घटना क्रम- सत्यम हास्पिटल बांसस्थान रोड भटहट थाना गुलिरहा गोरखपुर लगभग कई वर्षो से अवैध रुप से संचालित करते हुए संचालक रंजीत निषाद पुत्र सुबाष निषाद निवासी जंगल जैनुलआबदीन उर्फ जैनपुर टोला सत्यनगर थाना गुलिरहा गोरखपुर द्वारा बिना किसी वैध डिग्री के डाक्टरों का नाम सूची मे अंकित कर, डाक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजो का दवा ईलाज कर उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हास्पिटल के संचालक रंजीत निषाद पुत्र सुबाष निषाद उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 05.01.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 03.01.2023 को एक गर्भवती महिला का ईलाज किये जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी थी उक्त सम्बन्ध मे तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/23 धारा 304,419,420 भादवि0 व 15(3) इण्डियन मेडिकल कांउसिल एक्ट थाना गुलिरहा गोरखपुर बनाम संचालक रंजीत निषाद पंजीकृत किया गया एंव हास्पिटल के संचालक रंजीत निषाद पुत्र सुबाष निषाद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में अभियुक्त से पूछताछ व जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि उक्त हास्पिटल पूर्व मे दो बार- पहली बार चिराग हास्पिटल के नाम से व दूसरी बार प्रयांशु हास्पिटल के नाम से चल रहा था जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किया गया था, वर्तमान समय में यह हास्पिटल डा0 सुनील कुमार सरोज(एम0बी0बी0एस0) की डिग्री के आधार पर पंजीकृत कराकर संचालित किया जा रहा था। जांच मे यह भी तथ्य प्रकाश मे आया है कि जिस डाक्टर के नाम पर यह हास्पिटल वर्तमान मे पंजीकृत है उसके द्वारा यहां पर कोई भी चिकित्सीय सेवा प्रदान नही की जा रही है, इसके अतिरिक्त जिन चिकित्सको के नाम हास्पिटल की प्रिस्क्रिप्त पैड पर अंकित है वह भी अन्य जिलो मे निवास कर, प्रैक्टिस कर रहे है। पूछताछ में यह तथ्य भी प्रकाश मे आया है कि हॉस्पिटल के रिजस्ट्रेशन हेतु हॉस्पिटल मालिक द्वारा कुछ दलालो का भी सहयोग लिया गया है।

कल दिनांक 06.01.2023 को स्वास्थ्य विभाग को इस घटनाक्रम की सूचना दिये जाने के उपरान्त पुनः इस हास्पिटल को सील कर दिया गया है। विवेचना के क्रम में जिस चिकित्सक के नाम पर यह हास्पिटल पंजीकृत है व जिन-जिन चिकित्सको के नाम प्रिस्क्रिप्शन पैड पर अंकित है उन सभी को विवेचक द्वारा बयान हेतु नोटिस जारी किए गए है। इस सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को भी अपने स्तर से इस हास्पिटल के पंजीकरण की प्रक्रिया की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विधिक अथवा विभागीय कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

भविष्य मे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्न लिखित प्रयास किए जा रहे है -

- 1. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोरखपुर को इस आशय से पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि जनपद मे पंजीकृत सभी हास्पिटल्स एवं चिकित्सालय/डॉयग्नोस्टिक सेंटर/पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि की सूची को मीडिया के माध्यम से पिल्लक को सूचित किया जाए जिससे कि इस सूची के अतिरिक्त अवैध रुप से संचालित होने वाले सभी चिकित्सालयों की जानकारी हो सके और कार्यवाही की जा सके।
- 2. जिलाधिकारी जनपद गोरखपुर से अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में संचालित होने वाले चिकित्सालयों के सम्बन्ध में एक संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जाए जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जिसके नाम पर उक्त चिकित्सालय पंजीकृत है उनके द्वारा ही वहां पर इलाज किया जा रहा है।

- 3. आईएमए गोरखपुर को इस आशय से पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि वह अपने माध्यम से उनके यहां पंजीकृत सभी डाक्टर्स को इस घटनाक्रम के सम्बन्ध मे सूचित अथवा जागरुक करते हुए यह सुनिश्चित करे कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में सम्मिलित न हों।
- 4. इस सम्बन्ध मे निदेशक एम्स गोरखपुर व प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर से भी अनुरोध किया जा रहा है कि उनके यहां कार्यरत सभी चिकित्सकों व पास आउट हो रहे प्रशिक्षु डाक्टर्स को भी इस घटनाक्रम के सम्बन्ध मे सूचित/जागरुक करते हुए सुनिश्चित करे कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियो मे सम्मिलित न हों।
- 5. मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर द्वारा जनपद मे पंजीकृत चिकित्सालय/डॉयग्नोस्टिक सेंटर/पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि की सूची के सम्बन्ध मे अभिसूचना संकलित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

रंजीत निषाद पुत्र सुबाष निषाद निवासी जंगल जैनुलआबदीन उर्फ जैनपुर टोला सत्यनगर थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 14/23 धारा 304,419,420 भादवि0 व 15(3) इण्डियन मेडिकल कांउसिल एक्ट, थाना गुलरिहा गोरखपुर

बरामदगी का विवरण--

अवैध दस्तावेज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

- 1.निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
- 2.व0उ0नि0 शेष कुमार शर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
- 3. उ0नि0 मनोज यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।